रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 565] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 1980/अग्रहायण 24, 1902
No. 565] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 1980/AGRAHAYANA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1980

का० आ० 968 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 722(ई०) तारीख 21 दिसम्बर, 1978 को अधिक्रान्त करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या खण्ड (ख) के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के, यथास्थिति पैरा 27 या पैरा 27क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के संबंध में प्रत्येक नियोजक, ऐसे स्थापन अथवा, यथास्थिति ऐसे कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग से संबंधित मासिक भविष्य निधि अभिदायों का अन्तरण उस मास के समाप्त होने से 15 दिन के भीतर, उस स्थापन के संबंध में सम्यक रूप से गठित न्यासी बोर्ड को करेगा और उक्त न्यासी बोर्ड, नियोजक से उक्त अभिदायों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर स्थापन अथवा यथास्थिति कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग से संबंधित भविष्य निधि संचयन, अर्थात् अभिदाय, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को किन्हीं बाध्यकर देनदारियों की कटौती करने के बाद, निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा-परिभाषित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां, सिवाय राजकोषपत्र।	कम से कम 15 प्रतिशत
(ii) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित तथा किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां।	कम से कम 15 प्रतिशत
(iii) कोई अन्य परक्राम्य लिखत या बन्धपत्र जिस का मूलधन और जिस पर ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः और बिना शर्त रूप में प्रत्याभूत है।	कम से कम 15 प्रतिशत
(iv) सप्त वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (द्वितीय निर्गम और तृतीय निर्गम) या डाकघर सावधि निक्षेप।	अधिक से अधिक 40 प्रतिशत
(v) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग) सं० एफ० 16(1) पी०बी०/75 तारीख 30 जून, 1975 की अधिसूचना द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष निक्षेप स्कीम।	अधिक से अधिक 30 प्रतिशत

2. उपर्युक्त व्यवस्था, 1 जनवरी, 1981 से, आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगी। इस अवधि के दौरान परिपक्व होने वाले डाकघर सावधि निक्षेप का पुनर्विनिधान 50 प्रतिशत डाकघर सावधि निक्षेप में और 50 प्रतिशत विशेष निक्षेप में किया जाएगा। इसके अधीन रहते हुए, भविष्य निधि संचयन की सभी अन्य परिपक्व निधियों का पुनर्विनिधान ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाता रहेगा।

3. न्यासी बोर्ड संचयनों के शीघ्र विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार उचित प्रक्रिया तैयार करेगा।

[संख्या जी० 27035(10)/80-पी०एफ० I(i)]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th December, 1980

S.O. 968(E) .—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 722(E) dated the 21st December, 1978, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to any employee or class of employees exempted under paragraph 27, or paragraph 27A as the case may be, of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions in respect of the establishment or, as the case may be, of the employee or class of the employees within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month within a period of two weeks from the date of receipt of the said contributions from the employer, the Provident Fund accumulations in respect of the establishment or as the case may be, of the employee, or class of employees that is to say, the contributions, interest and other receipts as reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely:—

(i) Government Securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government, except treasury bills.	Not less than 15%
(ii) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	
(iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Govt.	
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 40%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 16(1)PD/75 dated the 30th June, 1975.	Not exceeding 30%

2. The above pattern will be in force from the 1st January, 1981, until further orders. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50% in Post Office Time Deposits and 50% in Special Deposits. Subject to this reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or re-investment of accumulations in accordance with the aforesaid directions.

[No. G. 27035(10)/80-PF-I(i).

का० आ० 969 (अ) :—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 723-ई० तारीख 21 दिसम्बर, 1978 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि इस निधि से संबंधित सभी धन निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा-परिभाषित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्जित और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां, सिवाय राजकोष पत्र।	कम से कम 15 प्रतिशत
(ii) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित तथा किसी भी राज्य सरकार द्वारा सर्जित और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां।	
(iii) कोई अन्य परक्राम्य लिखत या बन्धपत्र जिसका मूलधन और जिस पर ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः और अशर्त रूप में प्रत्याभूत है।	
(iv) सप्त वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (द्वितीय निर्गम और तृतीय निर्गम) या डाकघर सावधि निक्षेप।	अधिक से अधिक 40 प्रतिशत
(v) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) सं० एफ० 16 (1) पी० डी०/75 तारीख 30 जून, 1975 की अधिसूचना द्वारा प्रारम्भ की गई विशेष निक्षेप स्कीम।	अधिक से अधिक 30 प्रतिशत

2. उपर्युक्त व्यवस्था, 1 जनवरी, 1981 से, आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगी। इस अवधि के दौरान परिपक्व होने वाले डाकघर सावधि निक्षेप का पुनर्विनिधान 50 प्रतिशत डाकघर सावधि निक्षेप में और 50 प्रतिशत विशेष निक्षेप में किया जाएगा। इसके अधीन रहते हुए, भविष्य निधि संचयन की सभी अन्य परिपक्व निधियों का पुनर्विनिधान ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाता रहेगा।

[संख्या जो० 27035(10)/80 पी० एफ० I(ii)]

ए० पूनन, उप सचिव

S.O. 969(E) .—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 723(E), dated the 21st December, 1978 the Central Government hereby directs that all monies belonging to the Fund shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

(i) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government, except treasury bills.	Not less than 15%
(ii) Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	
(iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 40%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 16 (1)-PD/75 dated the 30th June, 1975.	Not exceeding 30%

2. The above pattern will be in force from the 1st January, 1981 until further orders. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50% in Post Office Time Deposits and 50% in Special Deposits. Subject to this, reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G. 27035(10)/80-PF-I(ii)]

A. POONEN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980